न्यायालय श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 02/2021(जीसीएमएस संख्या : 2021/356)

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी,

बनाम

विष्णु कुमार साहू पुत्र श्री राजेश साहू, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स राजेश ट्रेडर्स, संजीवनी स्कीम, निमोडिया रोड, चाकसू, जिला–जयपुर।
मूल निवासी–वार्ड नं. 11, तेलियों का मोहल्ला, चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II)/51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011)

उपस्थितिः–
1. पेरोकार सरकार।
2. श्री विष्णु कुमार साहू स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 23.02.2022**

प्रार्थी श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 26.10.2020 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्स राजेश ट्रेडर्स, संजीवनी स्कीम, निमोडिया रोड, चाकसू, जिला–जयपुर पर पहुंचा वहां पर विष्णु कुमार साहू पुत्र श्री राजेश साहू उपस्थित मिले। जिन्होने स्वयं को विक्रेता होना बताया। निरीक्षण करने के दौरान सरसों तेल के 251 पीपे (प्रत्येक में 15 किलोग्राम) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे इनमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच एक पीपे में से 1600 ग्राम सरसों तेल (लूज) विक्रेता श्री विष्णु कुमार साहू को सूचित करते हुए रू. 192/– (अक्षरे रूपयें एक सौ बानवे मात्र) नकद अदा कर रसीद प्राप्त कर क्रय किया गया। मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 1600 ग्राम सरसों तेल (लूज) को 4 साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के जार में बराबर–बराबर डालकर चारों प्लास्टिक के जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक प्लास्टिक के जार पर लेबल तैयार कर चिपकाये गए एवं लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2019 दर्ज किया। जांच हेतु क्रय किये गये सरसों तेल को जांच कराये जाने पर नमूना सरसों तेल को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1449/एक्ट/2020/1681 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार

नमूना जांच को सब–स्टेन्डर्ड फूड होना पाया गया। इसकी विक्रेता द्वारा अपील किये जाने पर लिये गए नमूने के द्वितीय भाग को वास्ते जांच रेफरल लेब में भिजवाया गया। रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट सं. RFL/DO-63/147/21/2021 दिनांक 22.02.2021 में खाद्य नमूना को सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा सब–स्टेण्डर्ड सरसों तेल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम , 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अप्रार्थी को नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं हाजिर आये और जवाब पेश किया।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है और आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन. स्वा.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 के द्वारा प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है। आदेश क्रमांक निदेशालय/एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 द्वारा कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय आंवटित किया गया है और इसके अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आंवटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 26.10.2020 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्स राजेश ट्रेडर्स का स्थान संजीवनी स्कीम, निमोडिया रोड, चाकसू, जिला–जयपुर पर पहुंचा जहां पर विष्णु कुमार साहू पुत्र श्री राजेश साहू उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को मैसर्स राजेश ट्रेडर्स का विक्रेता होना बताया। निरीक्षण करने के दौरान सरसों तेल के 251 पीपे (प्रत्येक में 15 किलोग्राम) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे इनमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच एक पीपे में से 1600 ग्राम सरसों तेल (लूज) विक्रेता श्री विष्णु कुमार साहू को सूचित करते हुए रू. 192/– (अक्षरे रूपयें एक सौ बानवे मात्र) नकद अदा कर रसीद प्राप्त कर क्रय किया गया। मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 1600 ग्राम सरसों तेल (लूज) को 4 साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के जार में बराबर–बराबर डालकर चारों प्लास्टिक के जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक प्लास्टिक के जार पर लेबल तैयार कर चिपकाये गए एवं लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2019 दर्ज किया और मौके पर प्रारूप 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढाकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मौके पर ही श्री विष्णु कुमार साहू ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है जो प्रारूप 5ए एवं फर्द मौका पर दर्ज है। मौके पर ही प्रारूप 5ए की एक प्रति अप्रार्थी को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अप्रार्थी विष्णु कुमार साहू अंकित है। प्राप्ति रसीद पर 2 गवाहान के हस्ताक्षर

है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है, मौके पर ही अप्रार्थी एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। मौके पर इसकी एक प्रति अप्रार्थी को दी गई है, जिसके प्राप्ति हस्ताक्षर अप्रार्थी के मौजूद है। प्रार्थी ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। जांच हेतु क्रय किये गये सरसों तेल को जांच कराये जाने पर नमूना सरसों तेल को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 1449 / एक्ट / 2020 / 1681 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार नमूना जांच को सब–स्टेन्डर्ड फूड होना पाया गया। इसकी विक्रेता द्वारा अपील किये जाने पर लिये गए नमूने के द्वितीय भाग को वास्ते जांच रेफरल लेब में भिजवाया गया। रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट सं. RFL/DO-63/147/21/2021 दिनांक 22.02.2021 में खाद्य नमूना को सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा सब–स्टेण्डर्ड सरसों तेल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम , 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पूरा प्रकरण कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का सब–स्टेण्डर्ड सरसों तेल न तो बेचा गया है, और न ही अप्रार्थी द्वारा बेचा जाता है। श्री विष्णु कुमार साहू से 1600 ग्राम सरसों तेल प्राप्त कर रूपये 192 / –विक्रय राशि प्राप्त किये जाने का कथन किया गया है मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। खाली कागजों पर प्रार्थी द्वारा मौके पर हस्ताक्षर यह कह कर कराये गये थे कि निरीक्षण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जानी हैं, जिसमें केवल मौके पर दुकान पर होने के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी द्वारा बाद में बदनियति से समस्त कार्यवाही की जाकर झूठे तथ्यों के आधार पर स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर से अप्रार्थी द्वारा 1600 ग्राम विक्रय करना बताते हुऐ सब–स्टेन्डर्ड की रिपोर्ट प्राप्त कर ली। अप्रार्थी को इस तथ्य की कतई जानकारी नहीं दी गई कि जांच रिपोर्ट कब और कहां से प्राप्त की गई है अप्रार्थी को स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की अपील किया जाना और रेफरल रिपोर्ट प्राप्त होने का कथन किया है किन्तु अप्रार्थी को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। सभी तथ्य काल्पनिक है। तथाकथित विक्रय किये गये सरसों तेल के सम्बन्ध में नियमों में निर्धारित मानक के अनुसार रिपोर्ट में अंकित हैं, किसी प्रकार की मिलावट की न तो कोई शिकायत हैं, और न ही विक्रय किये गये नमूने में कोई मिलावट पाई गई है। किसी प्रकार की सब–स्टेन्डर्ड होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो वह मात्र नमूने को लेब में देरी से भिजवाये जाने का कारण है इसमें अप्रार्थी किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। नमूना एक पीपे में से लिया जाना अंकित किया है परन्तु 4 पृथक–पृथक स्थानों से लिया जाकर जार में डाले जाने का कथन किया है जो विरोधाभाषी है। मौके पर अप्रार्थी को ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया जिससे अप्रार्थी अपनी स्थिति स्पष्ट करता कि रखा हुआ सरसों तेल आम जनता के उपयोग हेतु था या और उपयोग हेतु रखा गया था। मौके पर ऐसे कोई तथ्य पाये जाने का कथन नहीं है जहां पर कि अप्रार्थी द्वारा सरसों तेल किन्ही ग्राहकों को बेचा गया हो और बेचे गये सरसों तेल में से सब–स्टेण्डर्ड सरसों तेल होना सिद्ध हुआ हो। अतः मौके पर कोई ग्राहक आदि न

होने व सरसों तेल बेचते हुए नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा किये गये कथन मात्र कल्पना है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वास्थ्य.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 की प्रति ।
2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वास्थ्य.) राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक निदेशालय/एफएसएसए/ 2019/832 दिनांक 29.09.2019 की प्रति जिसके द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय का कार्य क्षेत्र का आवंटन किया गया है।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.10.2020 को नमूने के लिऐ क्रय किये 1600 ग्राम सरसों तेल के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 26.10.2020 को दिये गऐ केश–मीमों दि0 26.10.2020 की प्रति जिसके द्वारा रूपये 192/– नकद लिये जाना स्वीकार किये जाने की प्राप्ती पर स्वयं विक्रेता के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गऐ प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर विक्रेता विष्णु कुमार साहू के हस्ताक्षर है और गवाहान के भी हस्ताक्षर है।
5. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता विष्णु कुमार साहू के हस्ताक्षर है व दो गवाहान के हस्ताक्षर है।
6. मौके पर तैयार किया गया फॉरम–II (SEIZURE MEMO) एवं फॉरम–III (FORM OF ORDER OF SEIZURE) जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं विक्रेता विष्णु साहू के हस्ताक्षर मोजूद है।
7. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्रारूप 6 की प्रति एवं प्रारूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।
8. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना सब–स्टेन्डर्ड होना अंकित है।
9. निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूणे द्वारा जारी की गई जांच रिपोर्ट जिसमें नमूना सब–स्टेण्डर्ड पाया जाना अंकित है।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कथन का खण्डन तो किया गया है किन्तु अपने कथन को सिद्ध करने में

पूर्णतः असफल रहे है। जॉच हेतु लिये गऐ नमूने की खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2020 में नमूने को सब–स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ होना पाया है, इस रिपोर्ट दिनांक 09.11.2020 पर सन्देह किये जाने का कोई आधार नहीं है इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा अपील किये जाने पर नमूना रेफरल लेबोरेट्री में भिजवाया गया है और रेफरल फूड लेबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2021 की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें नमूने को सब–स्टेण्डर्ड होने का तथ्य अंकित है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि मौके पर विक्रय हेतु पाये गये 251 पीपे सरसों का तेल में से एक पीपे में से विक्रय किया गया 1600 ग्राम सरसों तेल जो विक्रय किया गया है वह सब–स्टेण्डर्ड है और अप्रार्थी विष्णु कुमार साहू ने सब–स्टेण्डर्ड सरसों तेल का विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघन किया है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि अप्रार्थी द्वारा सब–स्टेण्डर्ड तेल का बार–बार विक्रय किया गया है अथवा पूर्व में विक्रय किया गया हो और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पूर्व में शास्ति से दण्डित किया गया हो। अतः विचारण प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम अप्रार्थी के कृत्य के लिए राशि रूपये 7,000/–(अक्षरे रूपये सात हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें ।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय)
जयपुर